न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई0ए0एस)

प्रकरण संख्या 10/2025

बउनवान

1. भैरूलाल पुत्र मोरपाल जाति गुर्जर निवासी मूँण्डला
2. सुरेशचन्द पुत्र माधोलाल जाति सहरिया निवासी मूण्डला
3. मूलचन्द पुत्र रामनारायण जाति मेहर निवासी मूण्डला
4. बाबूलाल पुत्र नेगनगीलाल जाति गुर्जर निवासी मुण्डला
5. रामगोप पुत्र रामनारायण जाति मेहर निवासी मूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां — अपीलांट्स

बनाम

रामप्यारीबाई पत्नि शिवप्रकाश जाति मीणा निवासी महुआ तहसील मॉगरोल जिला बारां — रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 19–11–2025 न्यायालय तहसीलदार मांगरोल बउनवान प्रकरण रामप्यारी बनाम भैरूलाल प्रकरण सं० 5/2024, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट,

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री भारत भूषण सक्सेना अभिभाषक (अपीलांट)
2. श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 11.02.2026

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि रामप्यारीबाई पत्नि शिवप्रकाश मीणा निवासी महुआ ने राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत एक प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपने खाते की कृषि भूमि ग्राम मॅण्डला पटवार हल्का छत्रपुरा मे खसरा नंबर 465/696 रकबा 0.50 हेक्टेयर व खसरा नंबर 519/625 रकबा 0.09 हेक्टेयर कुल 2 किता रकबा 0.59 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण भैरूलाल, सुरेशचन्द, मूलचन्द व बाबूलाल निवासीगण मॅण्डला ने अवैद्य कब्जा काश्त कर रखा है उक्त आराजी को अप्रार्थीगण के कब्जे से छुडवाकर प्रार्थीया को कब्जा संभलाया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया है कि ग्राम मूॅण्डला खसरा नंबर 465/696 रकबा 0.50 हेक्टेयर व खसरा नंबर 519/625 रकबा 0.09 हेक्टेयर कुल 2 किता रकबा 0.59 हैक्टेयर पर से अप्रार्थी कम 1 से 3 व रामगोप पुत्र रामनारायण मेहर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के अंतर्गत बेदखल किया जाकर प्रार्थीया को कब्जा संभलाया जावे। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है। उक्त निर्णय अधिनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून, पत्रावली पर मौजूद तथ्यो एंव साक्ष्य के विपरीत तथा न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण से पूर्व माननीय उपखन्ड अधिकारी मॉगरोल मे इसी आशय का रामप्यारीबाई द्वारा दिनांक 18/04/2013 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 53,188,183 राज०टीनेन्सी एक्ट रामप्यारीबाई बनाम कुन्जबिहारी वगैरा प्रस्तुत किया था जिसका प्रकरण कमांक 32/2013 है जिसका निर्णय उपखंड अधिकारी मॉगरोल द्वारा दिनांक 18/02/2020 को किया गया था जिसमे इसी आराजी खसरा नबर 465/696 रकबा 0.50 हैक्टेयर व खसरा नंबर 519/625 रकबा 0.09 हेक्टेयर के संबंध में तहसीलदार मॉगरोल को आदेश दिया गया था कि उक्त आराजी का सीमाज्ञान पक्षकारान की उपस्थिति मे कराया जावे। पक्षकारान की उपस्थिति एंव सीमाज्ञान के आधार पर वादिया रामप्यारीबाई की कोई भूमि पर प्रतिवादीगण ... कब्जा नही था। पुनः इसी आराजी के संबंध

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.02.19 13:12:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत एक

ने रामप्यारीबाई द्वारा एक प्रकरण अंतर्गत धारा 183 बी राज० टिनेनसी एक्ट न्यायालय तहसीलदार मॉगरोल के समक्ष प्रकरण संख्या 5/2024 प्रस्तुत किया गया है जिसमे हल्का पटवारी की असत्य रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 19/11/2025 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित कर दिया जबकि प्रकरण की वस्तुस्थिति यह है कि प्रार्थीया रामप्यारीबाई कभी भी न्यायालय में उपस्थित नही हुई। उसका पति शिवप्रकाश ही उपस्थित रहा है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 27/06/2025 को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमे अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखंड अधिकारी मॉगरोल के आदेश का हवाला दिया था इस प्रकार एक ही रकबे का उपखंड अधिकारी के द्वारा निर्णय होने के बाद पुनः उसी भूमि पर तहसीलदार मॉगरोल के यहां पूर्व के तथ्यो को छुपा कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जो प्रार्थना पत्र आज भी तहसीलदार मोंगरोल के यहाँ जैरकार है उस पर माननीय तहसीलदार साहब मॉगरोल द्वारा कोई निर्णय पारित नही किया तथा दिनांक 19/11/2025 को जब दोनो पक्ष अनुपस्थित थे तथा दोनो पक्षकारों के अधिवक्ता भी अनुपस्थित थे, उनकी अनुपस्थिति मे प्रार्थना पत्र को अदम हाजरी मे खारिज करना चाहिए था परन्तू उसे स्वीकार करके पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर उक्त एकतरफा निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मॉगरोल द्वारा पूर्णरूप से यह निर्णय जो पारित किया है वह विधि विरूद्ध है। न्यायहित मे तहसीलदार मॉगरोल के यहां लंबित प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का विचाराधीन था उसका विधिवत निस्तारण करने के बाद ही प्रकरण का निर्णय करना चाहिए था परन्तु दिनांक 10/07/2025 को उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश होने के बाद आदेशिकाओ मे उक्त प्रार्थना पत्र का कोई हवाला नही दिया गया। इसलिए उक्त निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थीया रेस्पो० रामप्यारीबाई द्वारा उक्त आराजी को 2012 मे गोबरीलाल से कय किया गया था उसी समय उसका इन्तकाल रामप्यारीबाई के नाम इन्तकाल दर्ज हुआ था। रामप्यारीबाई ने वक्त जमीन कय की उसके 20 वर्ष पूर्व से अपीलान्ट वहां अपनी भूमि पर आवासीय मकान बनाकर निवास कर रहे है। अपीलान्ट्स गरीब तबके के लोग है जबकि रेस्पो० रामप्यारीबाई ताकतवर प्रभावशाली महिला है। रेस्पो० रामप्यारीबाई का रकबा आज भी पूर्णतया उसके कब्जे मे है उस पर पूर्णरूप से काबिज है उसकी भूमि पर अपीलान्टस द्वारा कोई कब्जा नहीं किया हुआ है। अपीलान्ट्स और रेस्पो०/प्रार्थीया उक्त भूमि के मध्य खसरा नंबर 465 गैरमुमकिन रास्ता दर्ज है इस प्रकार बीच मे गैरमुमकिन रास्ता होने से अपीलान्ट्स रेस्पो० की भूमि पर नही गये। अपीलान्ट्स अपने कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 470/609 पर ही अपने आवास बनाकर निवास कर रहे है। परन्तु रेस्पो०/प्रार्थीया द्वारा उक्त झूठा प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में पेश कर एकतरफा निर्णय प्राप्त किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मांगरोल दिनांक 19/11/2025 निरस्त फरमाने की कृपा करे। अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान करे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेन्ट जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अर्सा 20 वर्ष पूर्व उक्त आराजी कय की उससे पूर्व से अपीलांट्स के मकान अपनी भूमि पर बने हुए थे। उक्त आराजी बाबत उपखन्ड अधिकारी मॉगरोल मे इसी आशय का रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 18/04/2013 को अपीलांट्स के विरूद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 53,188,183 राज०टीनेन्सी एक्ट रामप्यारीबाई बनाम कुन्जबिहारी वगैरा प्रस्तुत किया था जिसका प्रकरण कमांक 32/2013 है जिसका निर्णय उपखंड अधिकारी मॉगरोल द्वारा दिनांक 18/02/2020 को किया गया था जिसमे इसी आराजी खसरा नबर 465/696 रकबा 0.50 हैक्टेयर व खसरा नंबर 519/625 रकबा 0.09 हेक्टेयर के संबंध में तहसीलदार मॉगरोल को आदेश दिया गया था कि उक्त आराजी का सीमाज्ञान पक्षकारान की उपस्थिति मे कराया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. बाबत कोई आदेश पारित नही कर अपीलांट्स के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.11.2025 निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.02.19 13:12:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारॉं (राज०)

राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत एक

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पो0 ने अभिभाषक अपीलांट के तर्क का खंडन करते हुए कथन किया कि अधिस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न आदेशिका दिनांक 19.11.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स अधिनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहे तथा रेस्पोडेन्ट उपस्थित थी। अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.ए. पेश किया था तथा प्रार्थना पत्र पर आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. प्रभावी नहीं है। आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. नियमित वाद पर ही प्रभावी है। अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का जवाब पेश किया है। रेस्पोडेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में कोई भी तथ्य नहीं छुपाया है। रेस्पोडेन्ट के खाते की आराजीयात पर अपीलांट्स बहैसियत अतिक्रमी काबिज हैं जिन पर धारा 183 (बी) आर0 टी0 एक्ट के प्रावधान प्रभावी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी पर अवैध अतिक्रमण करने पर रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी आर0 टी0 एक्ट पेश किया जिसमें बाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानूर्वक अवलोकन किया। जमाबंदी संवत 2076–79 से स्पष्ट है कि वाके ग्राम मूण्डला की विवादित आराजी खसरा नबर 465/696 रकबा 0.50 हैक्टेयर व खसरा नंबर 519/625 रकबा 0.09 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.59 है. रेस्पोडेन्ट, जो कि अनुसूचित जनजाति की सदस्य है, के खातेदारी में दर्ज है। चूंकि अनुसूचित जनजाति के सदस्य की खातेदारी की भूमि पर अन्य किसी भी व्यक्ति का अवैध कब्जा होने से अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर0 टी0 एक्ट कार्यवाही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट, जो कि उस कार्यवाही में अप्रार्थी हैं, सुनवाई में अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अतः उसका यह आक्षेप कि उसके विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है अस्वीकार है। पटवारी हल्का, छत्रपुरा की मौका रिपोर्ट दिनांक 24.03.2025 के अनुसार "ग्राम मूण्डला में खसरा नंबर 519/625 रकबा 0.09 है. रामप्यारी पत्नि शिवप्रकाश के खाते दर्ज है एवं मौके पर काबिज काश्त है। एवे खसरा नंबर 465/696 रकबा 0.50 है. भी रामप्यारी पत्नि शिवप्रकाश हि0 पूर्ण के खाते दर्ज है। एवं मौके पर काबिज काश्त है। परन्तु खसरा नंबर 465/696 के उत्तरी पश्चिमी कॉर्नर पर (1) भैरूलाल पुत्र मोरपाल गुर्जर (2) सुरेश पुत्र माधोलाल सहर (3) मूलचन्द पुत्र रामनारायण मेहर द्वारा पक्का निर्माण कर मकान बना रखा है। (4) रामगोप पुत्र रामनारायण मेहर द्वारा कच्चा बाड़ा बनाया हुआ है। जिसमें सब्जी भी उगा रखी है एवं उपरोक्त मकानों में निवास करते हैं।" ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि होना नहीं पाया जाता है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होना पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को सरे इजलास लिखाया जाकर, सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.02.19 13:12:15 IST
Reason: SelfAttested

राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत एक